भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1024

जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया गया

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण सीमा

1024. श्री दिलीप शइकीया:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री लुम्बा राम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को अधिकतम कितनी ऋण राशि प्रदान की गई है और विगत दो वर्षो के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कितने किसानों को कितनी-कितनी ऋण राशि संवितरित की गई है;

(ख) क्या उक्त योजना की ब्याज दरें सामान्य ऋणों की तुलना में बहुत कम हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण सीमा बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का कृषि उपकरणों और साधनों के वित्तपोषण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत ऋण सीमा का परिकलन राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा निर्धारित वित्त की मात्रा के आधार पर किया जाता है। वित्त की मात्रा कृषि-जलवायु क्षेत्रों, प्रति एकड़ फसल पद्धतियों और मौसमी परिवर्तनों आदि के आधार पर निर्धारित किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत अधिकतम ऋण की कोई विनिर्दिष्ट कोई सीमा नहीं है। तथापि, भारत सरकार संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस) के अंतर्गत 7% वार्षिक दर पर अल्पावधि कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए 1.5% ब्याज सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, ऋणों का समय पर पुनर्भुगतान करने पर किसानों को 3% का त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है। इसलिए, किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर 4% है। केंद्रीय बजट 2025-26 में, सरकार ने केसीसी के माध्यम से लिए गए ऋणों के लिये एमआईएसएस के तहत ऋण सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की है।

पिछले दो वर्ष के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत बकाया ऋणों वाले किसानों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या को **अनुबंध** में दर्शाया गया है।

(घ): केसीसी के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को जारी वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, केसीसी के तहत कृषि औजारों और उपकरणों की खरीद के लिए ऋण सहित कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों हेतु निवेश ऋण उपलब्ध है।

******

अनुबंध

10.2.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत "किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा" के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1024 के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित विवरण

31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2024 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार परिचालनरत किसान क्रेडिट कार्ड के आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

(राशि करोड़ रुपये में और '000 में जारी किए गए कार्डों की संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिचालनरत केसीसी की संख्या		परिचालनरत केसीसी के तहत बकाया राशि	
		31.3.2023 की स्थिति के अनुसार	31.03.2024* की स्थिति के अनुसार	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार	31.03.2024* की स्थिति के अनुसार
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9	8	38	23
2	आंध्र प्रदेश	4,552	4,853	60,879	65,455
3	अरुणाचल प्रदेश	10	18	81	195
4	असम	688	671	4,119	4,615
5	बिहार	2,577	2,683	17,388	18,801
6	चंडीगढ़	1	2	99	126
7	छत्तीसगढ़	1,917	2,147	10,756	10,582
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2	2	40	40
9	गोवा	9	12	109	169
10	गुजरात	3,018	3,137	62,373	71,132
11	हरियाणा	2,287	2,362	50,042	54,000
12	हिमाचल प्रदेश	458	503	8,009	9,072
13	जम्मू और कश्मीर	911	1,067	6,363	6,974
14	झारखंड	968	996	5,200	5,560
15	कर्नाटक	4,720	5,499	54,161	62,794
16	केरल	2,594	2,592	43,401	49,036
17	लद्दाख	28	28	258	268
18	लक्षद्वीप	2	3	15	22
19	मध्य प्रदेश	6,267	6,500	78,092	84,523
20	महाराष्ट्र	7,175	7,218	70,329	78,018
21	मणिपुर	20	20	165	159
22	मेघालय	72	77	360	467
23	मिजोरम	35	40	315	373
24	नागालैंड	30	32	179	192
25	नई दिल्ली	3	3	44	43
26	ओडिशा	3,971	4,466	21,744	29,097
27	पुडुचेरी	13	20	286	392
28	पंजाब	2,198	2,235	55,423	57,830
29	राजस्थान	6,540	6,846	99,543	1,08,973
30	सिक्किम	9	10	56	62
31	तमिलनाडु	3,580	4,032	42,132	52,112
32	तेलंगाना	4,337	4,509	44,405	47,786
33	त्रिपुरा	199	181	507	556
34	उत्तर प्रदेश	10,705	10,917	1,28,115	1,38,621
35	उत्तराखंड	509	557	6,365	6,479
36	पश्चिम बंगाल	3,132	3,005	14,531	15,856

* अनंतिम आंकड़े

स्रोत: *भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर आरबीआई की रिपोर्ट 2023-24*